न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सोनी पुत्री जेठाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली		1. कालूराम पुत्र जेठाराम जाति माली निवासी मगरीया बेरा सोजतसिटी तहसील व जिला पाली 2. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 37 / 2023

उपस्थितिः–

01. श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

02. अप्रार्थीगण तहसीलदार सोजत उपस्थित

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 21/8/24

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय पटवार हल्का सोजत चक द्वितीय भू0अ0नि0 क्षेत्र सोजत चक द्वितीय के खसरा संख्या 1992 रकबा 0.9100 हैक्टर किस्म मेहन्दी की भूमि आई हुई स्थित है, जो कृषि भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी, कब्जाकाश्त की है। प्रार्थीया का राजस्व रेकर्ड में 1/4 तथा अप्रार्थी संख्या 01 का राजस्व रेकर्ड अनुसार 3/4 हिस्सा आता है। वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाडा नही होने से वादस्थ भूमि में असुविधा उत्पन्न हो रही है। जिससे प्रत्येक इंच की जमीन पर सभी खातेदार का कब्जा है। मौखिक बंटवाडे अनुसार मौके पर काबिज है। खातेदारान का एक दुसरी की कृषि भूमि में जाने हेतु पर्याप्त मार्ग उपलब्ध नही होने की वजह से अप्रार्थी के हक हिस्से एवम आधिपत्य की कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर प्रार्थीया के हिस्से की मेहन्दी की फसल की कटाई नही करने हेतु विप्रार्थना उत्पन्न करनेका प्रयास कर रहा है। अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 1991 के पास नाजायज कब्जा करने व इमारती पत्थर व चुना बजरी डालने पर उतारू है तथा प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास कर रहा है। यदि ऐसा करने में वे सफल होते है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगीं । जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णी क्षति तिनो बिन्दु प्राथी के पक्ष मे होने स सरहद मौजा सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय पटवार हल्का सोजत चक द्वितीय भू0अ0नि0 क्षेत्र सोजत चक द्वितीय के खसरा संख्या 1992 रकबा 0.9100 हैक्टर किस्म मेहन्दी की कृषि भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से में अप्रार्थी किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे। इस पर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामिल रजि0 डाक से प्राप्त । सा0मि0 हो। अप्रार्थीगण संख्या 01 बावजुद सूचना / तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सूनी गई। सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय पटवार हल्का सोजत चक द्वितीय भू0अ0नि0 क्षेत्र सोजत चक द्वितीय के खसरा संख्या 1992 रकबा 0.9100 हैक्टर किस्म मेहन्दी की भूमि आई हुई स्थित है, जो कृषि भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी, कब्जाकाश्त की है। प्रार्थीया का राजस्व रेकर्ड में 1/4 तथा अप्रार्थी संख्या 01 का राजस्व रेकर्ड अनुसार 3/4 हिस्सा आता है। वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाडा नही होने से वादस्थ भूमि में असुविधा उत्पन्न हो रही है। जिससे प्रत्येक इंच की जमीन पर सभी खातेदार का कब्जा है। मौखिक बंटवाडे अनुसार

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

मौके पर काबिज है। खातेदारान का एक दुसरी की कृषि भूमि में जाने हेतु पर्याप्त मार्ग उपलब्ध नही होने की वजह से अप्रार्थी के हक हिस्से एवम आधिपत्य की कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर प्रार्थीया के हिस्से की मेहन्दी की फसल की कटाई नही करने हेतु विप्रार्थना उत्पन्न करनेका प्रयास कर रहा है। जिस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अप्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा बिल्कुल मनगढ़त तथ्यों के साथ वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी रास्ते की भूमि को हड़प करना चाहता है। अप्रार्थी रेकर्डेड खातेदार एवं वादग्रस्थ भूमि में सहखातेदार है। जिसके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया। वस्तुत वादग्रस्थ कृषि भूमि में पक्षकारो के हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में तनकियात कायम कर साक्ष्य सबूतों व गवाहो के बयान कलमबद्ध करके गुणावगुण पर तय किया जायेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य मे वादस्थ भूमि के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभय पक्षों वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय पटवार हल्का सोजत चक द्वितीय भू0अ0नि0 क्षेत्र सोजत चक द्वितीय के खसरा संख्या 1992 रकबा 0.9100 हैक्टर किस्म मेहन्दी की भूमि के वर्तमान मोके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभय पक्षो को वाद निर्णय तक पाबंन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 21/8/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)